### 1 🕙 आपराधिक प्रकरण कमांक 1405 / 2011

#### न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक 1405 / 2011 संस्थापित दिनांक 14 / 12 / 2011 फाईलिंग नम्बर—230303002612011

EN Pafer

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— मालनपुर, जिला भिण्ड म०प्र०

<u>.....</u> अभियोजन

#### बनाम

- मनीष उर्फ मन्नू पुत्र उदयभान शर्मा उम्र–27वर्ष व्यवसाय दुकानदारी निवासी ग्राम खडेहार जिला मुरैना म0प्र0
- फरार- 2. रामनिवास पुत्र महावीर सिंह चौहान

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—379 भा०द०स०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार ।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री कमलेश शर्मा।)

### <u>::- निर्णय -::</u>

(आज दिनांक 09/02/2017 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 21/09/11 को शाम लगभग 6:00बजे अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल से किराने की दुकान के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर फरियादी बुलाकी सिंह के आधिपत्य से उसकी हीरो होण्डा मोटरसायिकल कमांक एम.पी.07 एम.एल.0849 कीमत लगभग 20,000/—रूपये फरियादी बुलाकी सिंह की सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 379 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21/09/11 को फरियादी बुलाकी सिंह अपने गांव लक्ष्मणगढ़ से सौदा लेने अपनी मोटरसायिकल क्रमांक एम.पी.07एम.एल.0849 से मालनपुर आया था शाम करीबन साढ़े 6 बजे थे वह अपनी मोटरसायिकल को अमर सिंह के किराने की दुकान अंग्रेजी शराब की दुकान के पास खड़ी करके सामने सड़क पर पेशाब करने के लिये चला गया था पेशाब करके वापिस आया था तो उसने देखा था कि उसकी मोटरसायिकल वहां नहीं थी । उसका भतीजा रामलखन व नरेश कोरी भी मौके पर आ गये थे उन तीनों लोगों ने आसपास मोटर सायिकल की तलाश

की थी तो मोटरसायकिल नहीं मिली थी कोई अज्ञात चोरी मोटरसायकिल को चुराकर ले गया था। फरियादी द्वारा घटना की रिर्पोट थाना मालनपुर में की गई थी। फरियादी की रिर्पोट पर थाना मालनपुर में अप०क०१५७ / ११ पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था । यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि पुलिस थाना कोतवाली मुरैना के ए०एस०आई दलेल सिंह यादव को कस्बा भ्रमण के दौरान यह सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति ईट भट्टे के पास आउटर तुस्सीपुरा मोटरसायकिल बेचने की फिराक में खडा है। सूचना की तस्दीक हेतु वह मौके पर पहुंचा था तो उसने देखा था कि दो व्यक्ति मोटरसायकिल लिये ह्ये खडे थे एक व्यक्ति मौके से भाग गया था एवं एक व्यक्ति पकडागया था नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मनीष उर्फ मन्नू वैशान्दर बताय था एवं भागने वाले व्यक्ति का नाम रामनिवास बताया था। आरोपी मनीष के पास मोटरसायकिल जिसका चैचिंस नम्बर एम.पी.एल.एच.ए.11ई.एम.बी.9सी.01405 एवं इंजन नं.एच.ए.11 ई.सी.बी.9.बी.38441 था से संबंधित कोई कागजात नहीं पाये गयें। आरोपी मनीष से उसके द्वारा मौके पर ही मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती की कार्यवाही की गई थी एवं आरोपी को गिरफतार किया गया था । तत्पश्चात उसके द्वारा थाना कोतवाली मुरैना में अप०क०५९७७ / ११ पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान यह जानकारी मिलने पर अप०क०५९७७ / 11 में जप्तशुदा मोटरसायकिल से संबंधित अपराध थाना मालनपुर में <u>अप०क०१५७ / ११</u> पर पंजीबद्ध हैं। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट महोदय मुरैना के आदेश दिनांक 02/11/11 के अनुसार कोतवाली मुरैना के <u>अप०क०५९७७ / 11</u> की कैस डायरी थाना मालनपुर के <u>अप०क०१५७ / 11</u> में शामिल की गई एवं तत्पश्चात <u>अप०क०१५७ / ११</u> की विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- द०प्र०स०की धारा313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया हैकि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है।
- इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :--5.
- क्या दिनांक 21/09/11 को शाम 6:00बजे अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल से किराने की दुकान के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड से फरियादी बुलाकी सिंह के आधिपत्य से उसकी हीरो होण्डा मोटरसायकिल कमांक एम.पी.07 एम.एल.0849 की चोरी हुई?
  - क्या उक्त चोरी आरोपी द्वारा ही कारित की गई? 2.

7.

उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी बुलाकी सिंह आ०सा०१,रामलखन आ०सा०२,नरेश आ०सा०३,अशोक आ०सा०४,जगदीश शर्मा आ०सा०५,एस०आई दलेल सिंह यादव आ०सा०६ प्र०आर० ज्ञानचन्द्र आ०सा०७ एवं से०नि०थाना प्रभारी होतम सिंह आ०सा०८ की परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया हैं।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के

समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैकि घटना उसके न्यायालीन कथन से लगभग 02 साल पहले की नवे महीने की है। घटना दिनांक को वह मालनपुर वियरवार के बगल में स्थित दुकान से किराने का सामान ले रहा था वह मालनपुर अपनी मोटरसायकिल से गया था वह पढा लिखा नहीं है इस कारण मोटर सायकिल का नम्बर नहीं बता सकता है वह मोटरसायकिल का रजिस्ट्रेशन लेकर आया हैं। उसने अपनी मोटरसायिकल जहां से वह सामान खरीद रहा था वहां से 10 फुट की दूरी पर खडी थी जब वह सौदा लेकर निकला तो उसने देखा था कि उसकी मोटरसायकिल नहीं थी उसने मोटरसायकिल की तलाश की थी तो मोटरसायकिल नहीं मिली थी उसकी मोटरसायकिल हीरो होण्डा डीलेक्स कंपनी की थी। उसने चोरी की रिर्पोट थाने पर की थी जो प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है उसने थाना मालनपुर में मोटरसायकिल मिलने की सूचना दी थी जो प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्व ारा पक्ष विरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि उसने अपनी मोटरसायकिल अमर सिंह की दुकान पर खडी कर दी थी एवं यह भी स्वीकार किया। हैकि मोटरसायकिल खडी करके वह दूसरी तरफ बाथरूम के लिये चला गया था एवं जब वह लौटकर आया था तो उसे मोटरसायकिल नहीं मिली थी उसके बाद उसका भतीजा रामलखन एवं नरेश कोरी आ गये थे तलाश करने पर एवं रिश्तेदारों के बताने पर वह सिटी कोतवाली मुरैना पहुंचा था वहां उसने अपनी गाडी कोतवाली में खडी हुई देखी थी। जिसकी सूचना उसने थाना मालनपुर में दी थी । प्रतिपरीक्षण के पद क06 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि चोरी गई मोटरसायकिल सिविल लाईन मुरैना में आत्माराम टी०आई के साथ जाने पर पहचानी थी और इसकी सूचना मालनपुर में लिखित में दी थी।

- 8. साक्षी रामलखन आ0सा02 एवं नरेश आ0सा03 ने भी फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है तथा घटना दिनांक को फरियादी बुलाकी सिंह की मोटरसायिकल चौरी होने बाबत प्रकटीकरण किया हैं।
- 9. इस प्रकार फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 ने अपने कथन में घटना दिनांक को उसकी मोटरसायिकल चोरी होना बताया है उक्त साक्षी द्वारा मोटरसायिकल का रिजस्टेशन भी साक्ष्य के दौरान पेश किया गया है जिसके अनुसार चोरी गई मोटरसायिकल का नम्बर एम.पी.07 एम.एल.0849 था । बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी का प्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन मोटरसायिकल कमांक एम.पी.07 एम.एल.0849 चोरी होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। साक्षी रामलखन आ0सा02 एवं नरेश आ0सा03 ने भी उक्त बिन्दु पर फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना वाले दिन बुलाकी सिंह की मोटरसायिकल चोरी होने बाबत प्रकटीकरण किया हैं। प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिर्पोट में भी फरियादी बुलाकी सिंह की मोटरसायिकल कमांक एम.पी. 07 एम.ए.0849 चोरी होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 का कथन प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिर्पोट से भी पुष्ट रहा हैं। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं। अतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी बुलाकी सिंह की मोटरसायिकल कमांक एम.पी.07 एम.एल.0849 की चोरी हुई थी।

## विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 द्वारा प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपीट अज्ञात में की गई थी। फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्षअपने कथन में यह व्यक्त किया गयाहैकि घटना वाले दिन वह मालनपुर बियर वारमें स्थित दुकान से किराने का सामान लेने गया था और उसने अपनी मोटरसायिकल वहां से 10 फुट की दूरी पर खड़ी कर दी थी जब वह सौदा लेकर निकला था तो उसने देखा था कि उसकी मोटरसायिकल वहां पर नहीं थी उसनेमोटरसायिकल की तलाश की थी परन्तु मोटरसायिकल नहीं मिली थी उसने घटना की रिपीट थाना मालनपुर में की थी जो प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी मोटरसायिकल अमर सिंह की दुकान पर खड़ी कर दी थी एवं वह बाथरूम करेन चला गया था तथा जब वह लौटकर आया था तो उसे मोटरसायिकल नहीं मिली थी उसके बाद उसका भतीजा रामलखन एवं नरेश कोरी आ गये थे। फिर उसने थाना कोतवाली मुरैना में अपनी मोटरसायिकल खड़ी हुई देखी थी जिसकी सूचना उसने थाना मालनपुर को दी थी। उसकी मोटरसायिकल को रामनिवास और सोनू ले गये थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्05 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि उसने प्रथम सूचना रिपीट अज्ञात में की थी।

- 11. साक्षी रामलखन आ0सा02 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया हैकि उसके न्यायालीन कथन से लगभग 2–3 साल पहले वह अपने चाचा बुलाकी के साथ सामान लेने के लिये मोटरसायिकल से मालनपुर आया था मोटरसायिकल नरेश की दुकान के सामने खड़ी करके वह किराने की दुकान पर सामान लेने चले गये थे जब लौटकर आया था तो मोटरसायिकल नहीं मिली थी नरेश ने उसे बताया था कि मोटरसायिकल मनीष ले गया है ओर उसके साथ दो लोग ओर थे। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि नरेश ने किसी को भी मोटरसायिकल ले जाते हुये नहीं देखा था। पद क03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया हैकि उसने भी किसी को मोटरसायिकल ले जाते हुये नहीं देखा था। पद क03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह नरेश के बताये अनुसार मनीष का नाम बता रहा हैं।
- 12. साक्षी नरेश आ0सा03 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया हैकि घटना वाले दिन बुलाकी मालनपुर पर अपनी मोटरसायिकल खडीकर के दुकान पर सौदा लेने गया था । जब वह वापिस आया था तो उसे मोटरसायिकल नहीं मिली थी बुलाकी की हीरो होण्डा मोटरसायिकल को मनीष और दो लडके जिनका नाम उसे याद नहीं है चोरी करके ले गये थे। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि उसके सामने मोटरसायिकल की चोरी नहीं हुई थी एवं यह भी स्वीकार किया हैकि उसने न तो मनीष नाम के व्यक्ति को देखा था और न ही उसके साथ के लोग देखे थे उसने मनीष एवं उसके साथ दो लडकों को देखने वाली बात और लोगों के कहने पर बताई थी।
- 13. एस0आई दलेल सिंह यादव आ0सास06 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 01/10/11 को थाना सिटी कोतवाली मुरैना में पदस्थ था एवं उक्त दिनांक को वह करबा भ्रमण के लिये मय फोर्स माहौर चौराहा धोबी वाली गली में था वहां उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति चोरी की मोटरसायिकल लिये आउटर तुस्सीपुरा पर मोटरसायिकल बेचने की फिराक में खड़े है। सूचना की तस्दीक हेतु वह मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा था तो वहां उसे दो व्यक्ति मोटरसायिकल लिये हुये दिखे थे जिनकी घेराबंदी की थी एक व्यक्ति ईट भटटों की आड लेकर भागा गया था तथा एक व्यक्ति को मौके पर पकड़कर नाम पता पूंछा था तो उसने अपना नाम मनीष उर्फ मन्नू वैशान्दर बताया था मोटरसायिकल के कागजात चाहें तो उसने कोई कागजात न होना बताया था भागने वाले व्यक्ति का नाम

# <u> 5 🔗 आपराधिक प्रकरण कमांक 1405/2011</u>

रामनिवास चौहान बताया था पुनः मोटरसायिकल के बारे में पूंछा था तो रामनिवास चौहान से दो हजार रूपये में सौदा होकर खरीदना बताया था। उसने मौके पर ही साक्षी अशोक खटीक एवं प्र0आर0 ज्ञानचन्द्र के समक्ष हीरो होण्डा मोटरसायिकल जिसका इंजन नंम्बर एवं चैचिस नंम्बर प्र0पी05 में वर्णित है जप्त कर जप्ती पंचनामाप्र0पी05 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी मनीष शर्मा को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी06 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है थाना वापिस लौटकर उसने प्र0पी09 की प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 14. प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे 10:00बजे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना स्थल पर वह 11:20 बजे पहुंच गये थे एवं 11:30 बजे उसने मोटर सायिकल जप्त की थी उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया हैिक उसने प्र0पी05 के प्रक्रिया नम्बर पर काटपीट कर 8 की जगह 7 बनाया है एवं प्र0पी011 में दिनांक 09 की जगह काटकर 1 बनाया है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने प्र0पी06 में प्रक्रिया नम्बर पर काटपीट की हैं एवं प्र0पी09 में 08 की जगह काटकर 7 किया गया हैं।
- 15. साक्षी ज्ञानचन्द्र आ०सा०७७ ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 01/09/11 को थाना मालनपुर के दरोगा कोतवाली मुरैना पर पहुंचे थे फिर वह उसे व आरक्षक कामता को साथ लेकर फाटक बाहर तुस्सीपुरा माहौर चौराहे पर पहुंचे थे उन दरोगा जी को मोबाईल पर सूचना मिली थी कि मोटरसायिकल चोरी के दो व्यक्ति ईट भटटो के पास तुस्सीपुरा मुरैना में खडे हैं रास्ते में साक्षी अशोक मिला था उसे साथ ले लिया था जब ईट भटटो के पासपहुचे थे तो दो व्यक्ति उन्हें देखकर भागने लगे थे उन्हें पकडकर नाम पता पूंछा था तो एक ने अपना नाम मनीष और एक ने अपना नाम रामनिवास बताया था । मनीष के कब्जे से हीरो होण्डा मोटरसायिकल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी०५ बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है गिरफतारी पंचनामा प्र0पी०६ एवं प्र0पी०११ बनाया था जिनके कमशः सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क०२ में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया हैकि घटना स्थल के लिये वह और कामता सिंह मालनपुर के दरोगा जी के साथ गये थे मालनपुर के दरोगा जी का नाम देवेन्द्र सिंह था जप्ती और गिरफतारी की कार्यवाही मालनपुर के दरोगा जी ने की थी। दरोगा जी के साथ मालनपुर का फोर्स था उसे मालूम नहीं है कि जप्ती किस अपराध में की गई थी।
- 16. साक्षी अशोक आ0सा04 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी मुन्नू बैशान्दर कोनहीं जानता है पुलिस ने उसके सामने कभी भी किसी को गिरफतार नहीं किया था और न ही कोई गाडी जप्त की थी उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी मनीष से उसके सामने मोटरसायिकल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया गया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया गयाहै कि उसके सामने आरोपी मनीष को गिरफतार किया गया था उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र0पी05 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी06 पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया है।
- 17. जगदीश शर्मा आ०सा०५ ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने अपने न्यायालीन

कथन से तीन चार साल पहले आरोपी मनीष को थाने पर हाजिर कराया था गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०८ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 18. सं0नि0थाना प्रभारी होतम सिंह आ0सा08 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 19. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं । अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता हैं।
- 20. प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 द्वारा प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिर्पोट अज्ञात में की गई है यघिप बुलाकी सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया हैिक उसकी मोटरसायिकल रामनिवास और सोनू ले गये थे। परन्तु प्रतिपरीक्षण द्वारा उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैिक उसने चोरी की रिर्पोट अज्ञात में की थी। इसके अतिरिक्त फरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसकी मोटर सायिकल को रामनिवास और सोनू ले गये थे परन्तु यह बात उसके द्वारा प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिर्पोट में नहीं बताई गई है। साक्षी रामलखन आ0सा02 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे नरेश ने बताया था कि मोटरसायिकल को मनीष ले गया है एवं मनीष के साथ दो लोग और भी थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दोरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैिक उसने किसी को भी मोटरसायिकल ले जाते हुये नहीं देखा था एवं नरेश ने उससे कहा था कि मनीष अपने दो साथियों के साथ मोटरसायिकल चोरी करके ले गया है इसलिय वह नरेश के अनुसार मनीष का नाम बता रहा हैं। इस प्रकार रामलखन आ0सा02 के कथनों से यह प्रकट होता हैिक उक्त साक्षी ने स्वयं आरोपी मनीष को मोटरसायिकल ले जाते हुये नहीं देखा था एवं उसने नरेश के बताये अनुसार मनीष का नाम बता रहा हैं।
- 21. जहां तक नरेश आ0सा03 के कथन का प्रश्न है तो नरेश आ0सा03 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि बुलाकी की हीरो होण्डा मोटरसायिकल मनीष और दो लडके चोरी करके ले गये थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि उसके सामने मोटरसायिकल की चोरी नहीं हुई थी उसने मनीष को नहीं देखा था एवं उसने मनीष और उसके साथ दो लडकों वाली बात और लोगों के कहने पर बताई थी। इस प्रकार नरेश आ0सा03 के कथनों से यह दिश्ति हैकि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभाषी रहे है उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने स्वयं मनीष को चोरी करते हुये नहीं देखा था एवं उसने सूनी सूनाई बात बताई थी।
- 22. इस प्रकार फरियादी बुलाकी सिंह आ०सा०1,रामलखन आ०सा०2 एवं नरेश आ०सा०3 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने आरोपी मनीष को मोटरसायिकल ले जाते हुये नहीं देखा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी मनीष से फाटक बाहर ईट भटटे के पास तुस्सीपुरा मुरैना में मोटरसायिकल जप्त की गई थी । उक्त संबंध में एस०आई दलेल सिंह यादव आ०सा०6 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसे दिनांक 01/10/11 को सिटी कोतवाली मुरैना में कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी एवं सूचना प्राप्त होने पर वह मुखबिर के

# <u>🌠 7 🗞 आपराधिक प्रकरण कमांक 1405/2011</u>

बताये अनुसार तुस्सीपुरा पहुंचा था जहां दो व्यक्ति उसे मोटरसायिकल लिये दिखे थे जिनमें से एक व्यक्ति भाग गया था एवं एक व्यक्ति को पकड लिया था नाम पता पूंछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम मनीष बताया था तथा भागने बाले व्यक्ति का नाम रामनिवास बताया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त कियाहै कि उसने मोके पर ही साक्षी अशोक खटीक एवं ज्ञानचन्द्र के समक्ष आरोपी मनीष से मोटर सायिकल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 एवं आरोपी मनीष को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी06 बनाया था जिनके कमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- इस प्रकार दलेल सिंह यादव आ०सा०६ ने गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त 23. होना एवं सूचना प्राप्त होने पर फाटक बाहर ईट भटटे के पास तुस्सीपुरा से आरोपी मनीष से मोटरसायकिल जप्त करना एवं मनीष को गिरफतार करना बताया हैं तथा इसके पश्चात थाना वापिस आकर थाना कोतवाली मुरैना में अप०क०५९७७ / ११ पर प्र०पी०९ की प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध करना बताया है। दलेल सिंह यादव आ०सा०६ के कथनानुसार उसके द्वारा ईट भटटे के पास तुस्सीपुरा मुरैना में आरोपी मनीष से मोटरसायकिल जप्त की गई थी एवं मनीष को गिरफतार किया गया था तथा इसके बाद थाने पर वापिस आकर प्रथम सूचना रिर्पोट अप०क०५९७७ / ११ पर लेखबद्ध की गई थी परन्तु जप्ती पंचनामा प्र0पी05 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र0पी06 में अप0क्0597/11 लेख हैं यदि वास्तव में दलेल सिह आ0सा06 द्वारा प्र0पी05 एवं प्र0पी06 की लिखा पढी ईट भटटो के पास तुस्सीपुरा मुरैना में की गई थी तो उस स्थिति में प्र0पी05 एवं प्र0पी06 के पंचनामों पर अपराध क्रमांक अंकित नहीं होना चाहिये था क्योंकि उस समय तक आरोपी के विरूद्ध प्र0पी09 की प्रथम सूचना रिपीट लेखबद्ध नहीं की गई थी परन्त् प्र0पी05 एवं प्र0पी06 के पंचनामों पर अपराध क्रमांक 597 / 11 लेख है एवं उसमें काटपीट भी की गई है तथा उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में यही संदेहास्पद हो जाता है कि आरोपी से अभियोजन कहानी के अनुसार तुस्सीपुरा मुरैना में जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के अनुसार मोटरसायकिल जप्त की गई थी एंव प्र0पी05 एवं प्र0पी06 की कार्यवाही की गई थी उक्त तथ्य से यह संदेहास्पद हो जाता है कि प्र0पी05 एवं प्र0पी06 की लिखा पढी ईट भटटे के पास तुस्सीपुरा मुरैना में की गई थी। उक्त तथ्य अत्यन्त तात्विक है जो संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को ही संदेहास्पद बना देता है।
- 24. दलेल सिंह यादव आ०सा०६ ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 01/10/11 को आरोपी मनीष को ईट भटटो के पास तुस्सीपुरा में गिरफतार किया था एवं उससे साक्षी ज्ञानचन्द्र एवं अशोक खटीक के समक्ष मोटरसायिकल जप्त की थी। दलेल सिंह यादव आ०सा०६ स्वयं आरोपी मनीष से मोटरसायिकल से जप्त करना आरोपी मनीष को गिरफतार करना एवं प्र०पी०5 एवं प्र०पी०6 की लिखा पढ़ी करना बताया है और यह भी बताया हैकि उक्त कार्यवाही उसके द्वारा आरक्षक ज्ञानचन्द्र और साक्षी अशोक खटीक के समक्ष की गई थी परन्तु साक्षी ज्ञानचन्द्र आ०सा०७ द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि घटना दिनांक को वह मालनपुर के दरोगा जी देवेन्द्र सिंह एवं आरक्षक कामता सिंह के साथ तुस्सीपुरा गया था तथा मालनपुर के दरोगा जी देवेन्द्र सिंह को मोबाईल पर मोटरसायिकल के संबंध में सूचना मिली थी एवं मालनपुर के दरोगा जी देवेन्द्र सिंह ने ही आरोपी मनीष से मोटरसायिकल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०5 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०6 एवं प्र०पी०11 बनाया था। इस प्रकार ज्ञानचन्द्र आ०सा०७ जो कि जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही का साक्षी है ने प्र०पी०5 एवं प्र०पी०6 की लिखा पढ़ी थाना मालनपुर के ए०एस०आई देवेन्द्र सिंह यादव द्वारा करना बताया गया है जबिक एस०आई दलेल सिंह आ०सा०6 का कहना हैकि उक्त कार्यवाही उनके द्वारा की गई थी इस प्रकार उक्त बिन्द पर

साक्षी दलेल सिंह यादव आ०सा०६ एवं ज्ञानचन्द्र आ०सा०७ के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे है जो समस्त कार्यवाही के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

- एस0आई दलेल सिंह यादव आ0सा06 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि 25. दिनांक 01/10/11 को उसे दौराने गश्त मोटरसायकिल के संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी जबिक प्र0आर0ज्ञानचन्द्र आ0सा07 का कहनाहै कि उक्त सूचना थाना मालनपुर के दरोगा जी को मिली थी ज्ञानचन्द्र आ0सा07 द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दलेल सिंह भी उसके साथ गये थे इसके अतिरिक्त दलेल सिंह आ0सा06 द्वारा यह बताया गया है कि मौके पर दो व्यक्ति मोटरसायकिल लिये दिखे थे जिनमें से एक व्यक्ति ईट भटटो की आड लेकर भाग गया था जबिक दूसरा पकडा गया था उसने अपना नाम मनीष बताया था तथा पूंछने पर भागने वाले व्यक्ति का नाम रामनिवास बताया था। इस प्रकार एस0आई दलेल सिंह आ0सा06 के कथनानुसार उनके द्वारा मौके पर केवल आरोपी मनीष को पकडा गया था जबिक ज्ञानचन्द्र आ०सा०७ का कहना है कि वह मालनपुर के दरोगा जी देवेन्द्र सिंह एवं कामता सिंह के साथ मौके पर गया था जहां दो व्यक्ति उसे देखकर भागने लगे थे जिनका नाम पता पूंछा था तो उनमें से एक ने अपना नाम मनीष एवं एक ने अपना नाम रामनिवास बताया था। इस प्रकार ज्ञानचन्द्र के कथनानुसा मौके पर मनीष एवं रामनिवास दोनो को पकड लिया गया था। इस प्रकार उक्त बिन्दू पर भी एस0आई दलेल सिंह आ0सा06 एवं ज्ञानचन्द्र आ0सा07 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है एस0आई दलेल सिंह ने जप्ती पंचनामा प्र0पी05 एंव गिरफतारी पंचनामा प्र0पी06 की लिखा पढी स्वयं करना बताया है एवं जप्ती पंचनामाप्र0पी05 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है परन्तू जप्ती पंचनामा प्र0पी05 में अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी का नाम ए०एस0आई देवेन्द्र सिंह यादव लिखा हुआ है जबिक दलेल सिंह आ0सा06 का कहना हैकि उक्त कार्यवाही उसके द्वारा की गई थी एवं प्र0पी05 के साक्षी ज्ञानचन्द्र आ०सा०७ का कहना है कि प्र०पी०५ की कार्यवाही थाना मालनपुर के दरोगा जी देवेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गई थी जप्ती पंचनामा प्र0पी05 में अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी के रूप में दलेल सिंह यादव का नाम भी अंकित नहीं है उक्त सभी तथ्य संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 26. एस०आई दलेल सिंह यादव आ०सा०६ ने साक्षी ज्ञानचन्द्र एवं अशोक के समक्ष आरोपी मनीष से मोटरसायिकल जप्त करना बताया है जबिक ज्ञानचन्द्र आ०सा०७ द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उक्त कार्यवाही थाना मालनपुर के दरोगा जी ने देवेन्द्र सिंह यादव ने की थी । साक्षी अशोक आ०सा०४ द्वारा भी दलेल सिंह आ०सा०६ के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया हैकि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०५ एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०६ पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया हैं। इस प्रकार ए०एस०आई दलेल सिंह यादव आ०सा०६ के कथन का समर्थन अशोक आ०सा०४ एवं प्र०आर० ज्ञानचन्द्र आ०सा०७ द्वारा भी नहीं किया गया है उपरोक्त तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 27. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फिरियादी बुलाकी सिंह आ0सा01 द्वारा चोरी की रिर्पोट अज्ञात में की गई है एवं बुलाकी सिंह आ0सा01,रामलखन आ0सा02 तथा नरेश आ0सा03 के कथनों से यह भी दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने आरोपी मनीष को मोटरसायकिल ले जाते हुये नहीं देखा था। प्रकरण में फिरियादी द्वारा चोरी की रिर्पोट

अज्ञात में की गई है एवं जहां चोरी की रिपीट अज्ञात में की जाती है वहां जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही के साक्षियों की साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता एस0आई दलेल सिंह यादव आ0सा06 के कथन साक्षी अशोक आ0सा04,एवं प्र0आर0ज्ञानचन्द्र आ0सा07 के कथन से परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह ही संदेहास्पद है कि प्र0पी05 एवं प्र0पी06 की कार्यवाही किसके द्वारा की गई हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता हैं।

28. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता हैं अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 19/09/11 को शाम लगभग 6:00बजे अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल से किराने की दुकान के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर फरियादी बुलाकी सिंह के आधिपत्य से उसकी मोटर सायिकल क्रमांक एम.पी.07 एम.एल.0849 कीमत लगभग 20,000/—रूपये फरियादी बुलाकी सिंह की सहमित के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी मनीष उर्फ मन्नू वैशान्दर को भादस की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

30. आरोपी मनीष पूर्व से जमानत है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

30. प्रकरण में आरोपी रामनिवास चौहान फरार है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एवं प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जावे। उक्त संबंध में प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जायें।

स्थान – गोहद दिनांक –09 –02–2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / —
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)